संख्या-33/2024/001-403-23-12-2024-23-12-2-2023

प्रेषक,

रिपुंजय गुप्ता,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ: दिनांक 08-07-2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में भूमि अध्याप्ति के 01 चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0 के पत्र सं0-8443/सीई-एचक्यू-1/आईएनबी/इण्डो/2024-25, दिनांक 29.04.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना अन्तर्गत अधोलिखित तालिका में उल्लिखित 01 चालू कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	उ0प्र0 शासन का पत्रांक	संशोधित स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	प्रावैधिक स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्यों की लागत में बचत	गत वर्ष तक आवंटन	01.04.24 को अवशेष धनराशि (प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व में आवंटन	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मांग (+)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित आवंटन (+)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण हेतु जनपद श्रावस्ती में ककरदही से तरसोमा, भरथा से गुज्जरगौरी (लं0 13.00 किमी0) जमुनहा ककरदरी भाग-ए (लं0 8.720 किमी0) तथा जमुनहा ककरदरी भाग-बी (लं0 7.235 किमी0) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण (लैण्ड एक्यूजीशन) (मार्ग का कोड 61389)	नि0ख0-1 (इ0ने0 बा0) श्रावस्ती	1683/23-12-2013-1263(भू0अ0)/2013 दिनांक 22-11-2013 एवं पुन0शा0 सं0-34/2018/726/23-12-18-1263 (भूमि) /2013, दि0-25.05.18	2148.270	2148.270	0.000	1189.290	958.980	0.000	10.00	10.00
			योग	**2148.270**	**2148.270**	**0.000**	**1189.290**	**958.980**	**0.000**	**10.00**	**10.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि द्विरावृत्ति न हो।

(5) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) उक्त कार्यों के स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आवंटित की जा रही धनराशि का उपभोग शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 10 लाख (रूपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-058 लेखाशीर्षक-5054043370600 इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्यासि हेतु व्यवस्था मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

सं0-33/2024/001-403(1)-23-12-2024-23-12-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(मु0-1)/मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. लोक निर्माण अनु0-10
9. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
11. डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रिपुंजय गुप्ता)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in